

पत्रांक: अ0आ0उ0यो0/2019-20/137

दिनांक: 13 मई 2019

अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध निजी चिकित्सालय आस्था हॉस्पिटल, काशीपुर के अनुबंध को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में आदेश

- (i) आस्था हॉस्पिटल, काशीपुर दिनांक 03.10.2018 को स्थापित हुआ है। आस्था हॉस्पिटल, काशीपुर एकल स्वमित्व की एक निजी व्यवसायिक संस्था है, जिसके द्वारा लाभ अर्जित करने के लिये अस्पताल स्थापित किया गया है। आस्था हॉस्पिटल, काशीपुर के डा0 राजीव कुमार गुप्ता एकल स्वामी हैं। आस्था हॉस्पिटल, काशीपुर में डा0 राजीव कुमार गुप्ता के अतिरिक्त अन्य कोई चिकित्सक कार्यरत नहीं है। डा0 राजीव कुमार गुप्ता स्वयं ही अस्पताल के मुखिया/मालिक हैं। अस्पताल के बैंक ऑफ बड़ौदा, काशीपुर में बैंक के खाते को संचालित करने हेतु वे एक मात्र अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता भी हैं।
- (ii) अक्टूबर, 2018 में आस्था हॉस्पिटल काशीपुर की स्थापना के पश्चात डा0 राजीव कुमार गुप्ता द्वारा अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध करने हेतु योजना के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र दिया गया। इस आवेदन पत्र में उक्त (i) में उल्लेख किये गये बिंदुओं के अतिरिक्त यह भी उल्लेख किया गया कि वे आस्था हॉस्पिटल, काशीपुर में Round the Clock उपलब्ध चिकित्सक हैं। इस प्रकार आस्था हॉस्पिटल, काशीपुर में डा0 राजीव कुमार गुप्ता, जो अस्पताल में एक मात्र चिकित्सक हैं तथा जो अस्पताल के मालिक भी हैं, द्वारा सूचीबद्ध कराये जाने हेतु आवेदन पत्र में स्वयं को Round the Clock चिकित्सक उपलब्ध होने का कथन अंकित किया गया है।
- (iii) डा0 राजीव कुमार गुप्ता द्वारा अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध किये जाने के प्रस्ताव को राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (SHA) द्वारा स्वीकार किया गया तथा आस्था हॉस्पिटल, काशीपुर को योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध किया गया। आस्था हॉस्पिटल, काशीपुर के साथ राज्य स्वास्थ्य अभिकरण द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर 2018, को अनुबंध किया गया। आस्था हॉस्पिटल 30 Bedded अस्पताल है तथा इसे S1,S5,M1 तथा M7 Specialties के लिये योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध किया गया।
- (iv) दिनांक 2 अप्रैल 2019, को राज्य स्वास्थ्य अभिकरण की क्रियान्वयन सहायता एजेन्सी (ISA) द्वारा एक ही परिवार के 3 सदस्यों को एक ही तिथि पर अस्पताल में भर्ती कराने का प्रकरण संज्ञान में लाये जाने पर अभिलेखों का परीक्षण करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया की डा0 राजीव कुमार गुप्ता एल0 डी0 भट्ट चिकित्सालय, काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर जो की एक राजकीय अस्पताल है, में दिनांक 27 मार्च 2017 से संविदा पर पूर्णकालिक एलोपैथिक चिकित्सक के रूप में कार्यरत हैं। डा0 राजीव कुमार गुप्ता के साथ उनकी इस प्रकार की गयी राजकीय सेवा में नियुक्ति के सम्बन्ध में अनुबंध भी किया गया। डा0 राजीव कुमार गुप्ता की संविदा पर नियुक्ति को दिनांक 20.03.2018 को एक वर्ष के लिए दिनांक 28.02.2019 तक बढ़ाया गया। इसके पश्चात दिनांक 23 मार्च 2019 को उनकी संविदा पर नियुक्ति दिनांक 29.02.2020 तक बढ़ायी गयी। अतः डा0 राजीव कुमार गुप्ता मार्च 2017 से एल0डी0 भट्ट राजकीय चिकित्सालय, काशीपुर में संविदा के आधार पर पूर्ण कालिक चिकित्सक के रूप में कार्यरत हैं तथा इस रूप में वे दिनांक 10 अप्रैल, 2019, जब आस्था अस्पताल, काशीपुर की सूचीबद्धता निलम्बित की गयी,तक निरन्तर रूप से राजकीय चिकित्सालय में कार्यरत हैं।



- (V) उक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि जहा एक ओर डा0 राजीव कुमार गुप्ता एल0 डी0 भट्ट राजकीय अस्पताल, काशीपुर में पूर्णकालिक चिकित्सक के रूप में निरंतर कार्यरत हैं, वहीं दूसरी ओर वे आस्था हॉस्पिटल, काशीपुर (जो एक निजी अस्पताल है तथा जिसमें वे एक मात्र चिकित्सक स्वयं मालिक के रूप में कार्यरत हैं) में Round the Clock चिकित्सक के रूप में विद्यमान है, जैसा कि उनके द्वारा अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध कराये जाने हेतु आवेदन पत्र से स्पष्ट है।
- (VI) चूंकि डा0 राजीव कुमार गुप्ता एल0 डी0 भट्ट राजकीय चिकित्सालय, काशीपुर में पूर्णकालिक रूप से तैनात हैं, अतः यह स्पष्ट है कि वे दूसरे निजी अस्पताल (जिसमें वे एक मात्र उपलब्ध चिकित्सक हैं) में Round the Clock चिकित्सक के रूप में उपलब्ध नहीं हो सकते हैं।
- (VII) उक्त विवरण के आधार पर यह तथ्य समाने आया है कि आस्था हॉस्पिटल, काशीपुर में अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध होने के लिए आवेदन पत्र भर कर जो प्रस्ताव (Proposal) दिया गया है, वह मिथ्या कथन (Misrepresentation) है, क्योंकि वे एल0डी0 भट्ट राजकीय अस्पताल, काशीपुर में संविदा पर पूर्णकालिक चिकित्सक के रूप में कार्यरत रहते हुए एकल चिकित्सक के रूप में Round the Clock उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। चूंकि डा0 राजीव कुमार गुप्ता द्वारा जानबूझ कर गलत इरादे से योजना के अन्तर्गत अवैधानिक लाभ प्राप्त करने हेतु आस्था हॉस्पिटल, काशीपुर को सूचीबद्ध कराने हेतु दिये गये प्रस्ताव में मिथ्या/झूठा कथन किया गया है, अतः यह धोखाधड़ी (Fraud) की श्रेणी में आता है। अतः राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (SHA) द्वारा उनके प्रस्ताव पर दी गयी स्वीकृति भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act, 1872) के अनुसार Free Consent नहीं है तथा आस्था हॉस्पिटल, काशीपुर के साथ किया गया अनुबन्ध SHA के विकल्प (Option) पर शून्य (Void) है।
- (VIII) आस्था हॉस्पिटल, काशीपुर द्वारा योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध किये जाने हेतु जो प्रस्ताव दिया गया है, वह प्रस्ताव एक असम्भव कार्य को करने का प्रस्ताव है क्योंकि एल0डी0 भट्ट, राजकीय चिकित्सालय, काशीपुर में पूर्णकालिक चिकित्सक के रूप में कार्य करते हुए डा0 राजीव कुमार गुप्ता की आस्था हॉस्पिटल, काशीपुर में Round the Clock उपलब्धता सम्भव नहीं है। भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 के अनुसार "असम्भव कार्य करने का अनुबन्ध" शून्य (Void) होने के कारण आस्था हॉस्पिटल, काशीपुर द्वारा जो भी क्लेम की धनराशि SHA से प्राप्त की गयी है, उसकी वसूली करने का अधिनियम के प्राविधानों अनुसार SHA को अधिकार है।
- (IX) भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 के प्रासंगिक प्रविधानों का विवरण निम्न प्रकार हैं—

17. "fraud defined"

"Fraud" means and includes any of the following acts committed by a party to a contract, or with his connivance, or by his agents, with intent to deceive another party thereto or his agent, to induce him to enter into the contract;

(1) the suggestion as a fact, of that which is not true, by one who does not believe it to be true;

- (2) the active concealment of a fact by one having knowledge or belief of the fact;
- (3) a promise made without any intention of performing it;
- (4) any other act fitted to deceive;
- (5) any such act or omission as the law specially declares to be fraudulent.

19. Voidability of agreements without free consent

"When consent to an agreement is caused by coercion, fraud or misrepresentation, the agreement is a contract voidable at the option of the party whose consent was so caused....."

56. Agreement to do impossible act

"An agreement to do an act impossible in itself is void..... "

65. Obligation of person who has received advantage under void agreement, or contract that becomes void

"When an agreement is discovered to be void, or when a contract becomes void, any person who has received any advantage under such agreement or contract is bound to restore it, or to make compensation for it, to the person from whom he received it."

- (X) भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 की धारा 17 के अनुसार आस्था हॉस्पिटल, काशीपुर द्वारा धोखाधड़ी (Fraud) का कृत्य किया गया है। अतः अधिनियम की धारा 19 के अनुसार आस्था हॉस्पिटल, काशीपुर द्वारा सूचीबद्ध कराये जाने के प्रस्ताव पर SHA द्वारा प्रदान की गयी स्वीकृति बिना "Free Consent" के है तथा यह धोखाधड़ी पर आधारित है। परिणाम स्वरूप, आस्था हॉस्पिटल, काशीपुर का सूचीबद्धता के सम्बन्ध में अनुबन्ध अधिनियम की धारा 19 के अनुसार SHA के विकल्प (Option) पर शून्य (Void) है।
- (XI) आस्था हॉस्पिटल, काशीपुर द्वारा ऐसे कार्य को करने का प्रस्ताव दिया गया और तत्पश्चात अनुबन्ध किया गया जो कि असम्भव है। (एल0डी0भट्ट राजकीय चिकित्सालय में संविदा पर पूर्णकालिक एलोपैथिक चिकित्सक होने के कारण डा0 राजीव कुमार गुप्ता का आस्था हॉस्पिटल, काशीपुर में Round the Clock उपलब्ध रहना असम्भव कार्य है)। अतः भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 की धारा 56 के अनुसार आस्था हॉस्पिटल, काशीपुर के साथ किया गया अनुबन्ध प्रारम्भ से ही शून्य (ab initio void) है। ऐसी दशा में भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 की धारा 65 के अनुसार आस्था हॉस्पिटल, काशीपुर द्वारा SHA से प्राप्त की गयी क्लेम की सम्पूर्ण धनराशि की वसूली SHA द्वारा की जानी चाहिए।
- (XII) चूँकि आस्था हॉस्पिटल, काशीपुर द्वारा भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 की धारा 17 के अन्तर्गत धोखाधड़ी का कार्य (Fraud) किया गया है तथा धारा 56 के अन्तर्गत असम्भव कार्य करने का अनुबन्ध किया गया है, अतः आस्था हॉस्पिटल, काशीपुर की सूचीबद्धता का अनुबन्ध शून्य (Void) है, और अधिनियम की धारा 65 के अनुसार आस्था हॉस्पिटल, काशीपुर से भुगतान की गयी क्लेम की सम्पूर्ण धनराशि वसूली योग्य है।
- (XIII) भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 की धारा 66 में अनुबन्ध को निरस्त किये जाने तथा उसकी सूचना दिये जाने के सम्बन्ध में प्रक्रिया दी गयी है जो निम्न प्रकार है—



66. Mode of communicating or revoking rescission of voidable contract

"The rescission of a voidable contract may be communicated or revoked in the same manner, and subject to same rules, as apply to the communication or revocation of the proposal."

भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 की धारा 4 के अन्तर्गत प्रस्ताव (Proposal) को सूचित किये जाने (Communication) तथा प्रस्ताव को निरस्त किये जाने (Revocation) के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था दी हुई है:-

4. Communication when complete

"The communication of a proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. The communication of a revocation is complete, as against the person to whom it is made, when it comes to his knowledge."

भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872 की धारा 6 में भी प्रस्ताव (Proposal) को निरस्त (Revocation) करने के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान दिये गये हैं:-

6. Revocation how made

"A proposal is revoked -

(1) by the communication of notice of revocation by the proposer to the other party;"

(XIV) अतः आस्था हॉस्पिटल, काशीपुर से किया गया अनुबन्ध निरस्त करते हुए अधिनियम की धारा 66 सपडित धारा 4 एवं धारा 6 के अनुसार आस्था हॉस्पिटल, काशीपुर को तदनुसार सूचित कर दिया जाये।

आदेश

अतएव, आस्था हॉस्पिटल, टांडा उज्जैन, शुगर मिल रोड, काशीपुर द्वारा अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के साथ सूचीबद्धता हेतु किया गया अनुबंध दिनांक 18 दिसम्बर 2018 निरस्त किया जाता है। आस्था हॉस्पिटल, काशीपुर द्वारा प्राप्त की गयी क्लेम की धनराशि 1,68,200 रुपये को इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से 7 दिन के अंदर राज्य स्वास्थ्य अभिकरण को वापिस किया जाये। आस्था हॉस्पिटल, काशीपुर के लंबित क्लेम 1,04,400 रुपये उन्हें देय नहीं होंगे तथा उनका भुगतान राज्य स्वास्थ्य अभिकरण द्वारा नहीं किया जायेगा। इस आदेश को डा0राजीव कुमार गुप्ता को ई-मेल से तथा रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाये।

(युगल किशोर पंत)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना

प्रतिलिपि:-


1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण, नई दिल्ली।
2. राज्य समन्वयक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभिकरण, नई दिल्ली।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
5. अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना, देहरादून।

प्रतिलिपि:-

1. Insurance Regulatory and Development Authority of India, Sy No. 115/1, Financial District, Manakramguda, Gachibowli, Hyderabad-500032 को इस अनुरोध के साथ कि वे सभी सम्बन्धित को अवगत कराने का कष्ट करें।
2. नोडल अधिकारी, आई0ई0सी0 को इस अनुरोध के साथ कि वे जन-साधारण को आस्था अस्पताल, काशीपुर की सूचीबद्धता समाप्त होने से अवगत कराने हेतु प्रकाशनार्थ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
2. जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तराखण्ड।
4. समस्त निदेशक, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना, राज्य स्वास्थ्य अभिकरण।
5. राज्य समन्वयक, क्रियान्वयन सहायता एजेंसी, देहरादून।
6. आई0टी0 सह डाटा प्रबंधक को वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
7. गार्ड फाइल।


(डा0 अभिषेक त्रिपाठी)
निदेशक, प्रशासन

अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना